



राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-1) विभाग

क्रमांक प.3(2)कार्मिक/क-1/2013

जयपुर, दिनांक:- 5 JAN 2018

समस्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारी,
राजस्थान संवर्ग।

विषय:-अचल संपत्ति रिटर्न भरने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की अचल संपत्ति रिटर्न भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों की वेबसाइटों पर ऑनलाईन ही भरे जाने का प्रावधान है। अतः कृपया अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आई.पी.आर.) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों की वेबसाइट पर ही ऑनलाईन प्रस्तुत करने का श्रम करें तथा इसकी हार्ड कॉपी कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार को नही भेजी जावे।

भवदीय,

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव
टे.नं. 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अवर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(राधाकिशन)
सहायक शासन सचिव
टे.नं. 0141-5153222/21989